

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2603/2018/भोपाल/स्टांप अधि. विरुद्ध आदेश दिनांक 02.12.2016 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला भोपाल प्रकरण क्रमांक 275/बी-103/2014-15/धारा-48(ख).

माधव इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड
द्वारा प्रोजेक्ट मेनेजर सुरेन्द्र शंकरन चोरान
निवासी माधव हाऊस, प्लॉट नं. 4,
पंचरत्न बिल्डिंग के पास, सुभानपुरा
बड़ोदरा, गुजरात

.....आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला भोपाल

.....अनावेदक

श्री अनुपम शुक्ला, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/10/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56(4) के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला भोपाल द्वारा पारित दिनांक 02.12.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर, भोपाल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम कोहेफिजा भोपाल स्थित खसरा क्रमांक 15/5/2, 16/4/2 एवं 110/16/2 रकबा 5.00 एकड़ भूमि जो कि क्लासिक इनस प्रा.लि. के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, का नाम परिवर्तित कर माधव इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड का नाम राजस्व

अभिलेखों में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प से पत्र क्रमांक 450/नजूल/बैरा.वृत्त/2015 दिनांक 08.09.2015 के द्वारा आवेदक का आवेदन संलग्न कर उक्त नाम परिवर्तन में मुद्रांक शुल्क के अपवंचन के संबंध में अभिमत चाहा गया। उक्त दस्तावेज में प्रथम दृष्टया मुद्रांक शुल्क हानि परिलक्षित होने से प्रकरण क्र. 275/बी-103/14-15 मुद्रांक विधान की धारा 48(ख) में दर्ज कर अनावेदकों को सूचना पत्र जारी किये गये। गाईड लाईन वर्ष 2012-13 के प्रावधान अनुसार सम्पत्ति ग्राम कोहेफिजा, वार्ड क्र. 05, प.ह.नं. 23 में आवासीय भूखण्ड की दर 2500/- रुपये प्रति वर्गमीटर एवं कृषि भूमि की दर सिंचित/असिंचित 6,00,00,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर के मान से मुद्रांक शुल्क रुपये 67,69,000/- निर्धारित किया गया। चूंकि आवेदक द्वारा पूर्व में कोई मुद्रांक शुल्क नहीं चुकाया गया है, इसलिए अधिनियम की धारा 40(2) के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क की 1 गुना राशि 67,69,000/- रुपये शास्ति अधिरोपित की जाकर कुल राशि 1,35,38,000/- रुपये जमा करने के आदेश दिये गये। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।


3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) The Respondent was required to give his opinion under section 31 of the Stamps Act and not to proceed arbitrary against the Applicant under Section 48(b) of the Stamps Act. Even otherwise, for proceeding under Section 48(b) of the Stamps Act, the Respondent was firstly required have at least copy of the instrument and then to pass an order requiring Applicant to produce to copy of instrument within a specific period and then serve a copy of the notice having contents to the effect on Applicant. However, the same is not reflected anywhere in his order sheet and it is only on 02.04.2016 i.e. the fourth date, when Applicant for the first time called for the copy of order date 15.02.2013 from the Tehsildar. As such, even the proceedings adopted by respondent under Section 48(b) are illegal and ineffective.

(2) The bonafide conduct of Applicant is apparent form the fact that it has most bonafidely submitted his application for mutation on the basis of the

order of amalgamation, which was passed by Hon'ble High court of Gujarat and certificate of incorporation consequent upon change of name.

- (3) The instrument/document was required to come, before the Collector in performance of its functions, which was not the case with Respondent.
- (4) The Respondent who was supposed to give opinion as regards to "the duty with which the instrument in his judgement was chargeable" in terms of Section 31 of the Stamps Act, he wholly without jurisdiction and power without even serving notice on the Applicant passed an absolute illegal order thereby not only imposing stamp duty on the instrument but also a penalty, with respect to which, he had no power as in terms of Stamp Act, the provisions for proceedings on instrument not duly stamped are specifically contained in chapter IV i.e. "Section 33 to 48" and where also, it can be initiated on the basis of original instrument and not the copy of the same.
- (5) The Respondent ought to have served the notice to the Petitioner in lawful manner as prescribed under the schedule-1 of M.P.L.R.C. 1959 and code of Civil procedure. However, rather than doing so for the reasons best known to him, he in absolute arbitrary manner proceeded ex-parte and passed the impugned order. It is important to submit that there is no proof in the entire file of the Respondent that notice was properly served on the Applicant.
- (6) The Respondent ought to have afforded the opportunity to the Applicant before passing of impugned order.
- (7) Section 48(b) only authorizes the collector to recover the adequate stamp duty which was been avoided at the time of execution of original instrument, which is in the present case is the order of Hon'ble High court and more particularly, under this section the Collector is not authorized to impose penalty on the instrument.



- (8) The powers and jurisdiction of Respondent under Section 31 of Stamps Act is limited to giving of opinion and after which, he becomes functus officio, however, the Respondent exceeding his jurisdiction passed the impugned order in utter violation of principles of natural justice.
- (9) The Respondent without even having a copy of the instrument, on which, he charged the duty and penalty illegally registered the case under Section 48(b) of the Stamps Act.
- (10) The conduct of Respondent in proceeding absolutely illegal against the Applicant is apparent from the fact that it without even serving the Notice of Demand in the required lawful manner contained, which is an essential requirement under Section 146 of M.P.L.R.C. for initiating the process of recovery, issued warrant of attachments of movable and immovable property of Applicant.
- (11) The action of recovery initiated by the Respondent on the basis impugned order is also defective and against the process of law firstly, in absence of Notice of Demand and Secondly, that it was not even addressed to the Applicant but the previous transferor company. It is also pertinent to mention that warrant of attachment does not even have mention of the name of the officer who will execute the same.

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदक को पंजीकृत डाक से सूचना दी गई है। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण में आवेदक की ओर से उसका वकालतनामा भी लगा है, जो उसे जानकारी मिलने का प्रमाण है, किन्तु आवेदक द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष उपस्थित होकर कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त स्थिति में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा मध्यप्रदेश अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत आदेश पारित कर मुद्रांक शुल्क रुपये 67,69,000/- निर्धारित किया गया है। चूंकि आवेदक द्वारा कोई मुद्रांक शुल्क नहीं चुकाया गया है, अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 40(2) के अंतर्गत देय मुद्रांक शुल्क की 1 गुना रुपये


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

67,69,000/- शास्ति अधिरोपित कर कुल रूपये 1,35,38,000/- जमा करने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।


A32


(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर